वाद संख्या 98/2022 उनवान रामप्रसाद बनाम सत्यनारायण वगै.
वाद संख्या 99/2022 उनवान सत्यनारायण आदि बनाम रामप्रसाद आदि
निर्णय दिनांक 22.03.2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :— 98/2022 **निर्णय दिनांक :— 22.03.2024**

उनवानी दावा:

रामप्रसाद पुत्र जमनालाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक राज0
—वादी—

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र बालू जाति लोहार उम्र बालिंग निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोक राज0
2. हंसा पुत्री बालू जाति लोहार उम्र बालिग निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोक राज0
3. कन्या पत्नि किशनलाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोक राज0
4. भोलीदेवी पत्नि लादू जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोक राज0
5. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोक

—प्रतिवादीगण—

उपस्थिति :—
श्री सत्यनारायण धाकड़
अधिवक्ता वादी

श्री राजेश जैन
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 2
श्री बद्री प्रसाद विजयवर्गीय
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 ता 4

मिसल संख्या :— 99/2022 **निर्णय दिनांक :— 22.03.2024**

उनवानी दावा:

1. सत्यनारायण पुत्र बालू जाति लोहार उम्र बालिंग निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोक राज0
2. हंसा पुत्री बालू जाति लोहार उम्र बालिग निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोक राज0

—वादी—

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र जमनालाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. कन्या पत्नि किशनलाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोक राज0
3. भोलीदेवी पत्नि लादू जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोक राज0
4. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोक

— प्रतिवादीगण —

उपस्थिति :—
श्री राजेश जैन
अधिवक्ता वादीगण

श्री सत्यनारायण धाकड़
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
श्री बद्री प्रसाद विजयवर्गीय
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 ता 3

दावा तकासमा आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। निर्णय/आदेश में प्रकरण के तथ्यो इस प्रकार है कि मूलवाद संख्या 98/2022 उनवान रामप्रसाद बनाम सत्यनारायण वगै. के साथ हमफिता पत्रावली वाद संख्या 99/2022 सत्यनारायण आदि बनाम रामप्रसाद आदि का अवलोकन किया। उक्त दोनो में पक्षकारान समान है और अधिवक्ता उभयपक्ष की सहमति से दोनो दावो को तारीख पेशी दिनांक 18.11.2022 समेकित किया गया और उक्त दोनो दावो के लिए सहमति से प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.01.2023 को जारी की गई।

पारित प्राथमिक निर्णय/डिक्री आदेश की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार देवली से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। कुर्रेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता उभयपक्ष से अवलोकन करवाया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष ने अन्तिम बहस में कुर्रेजात रिपोर्ट को मय नक्शा ट्रेस सही बताया है, मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री पारित करने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट पत्रांक भू. अ./2741 दिनांक 14.12.2023 का अवलोकन किया। देवली द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये है। अतः तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14.12.2023 अनुसार दावा अंतिम डिक्री पर्चा जारी किया जाना न्यायोचित हैं।

जमाबन्दी सम्वत 2073–76 ग्राम सिरोही पटवार हल्का पोल्याड़ा के ख. नं. 381 रकबा 0.27 है0 व ख. नं. 384 रकबा 0.85 है0 में तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

अतः तहसीलदार देवली की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार रहेगा :–

क. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1.	रामप्रसाद पि. जमनालाल धाकड़ सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शित	381	0.27	बा.–1	2.16
		384	0.29	चा. 3/.12 जा. 3/.17	1.86 1.36
	योग	किता–2	0.56	कुल लगान	5.38
2.	भोली देवी पत्नी लादू हि. 3/4 कन्या पत्नी किशनलाल हि. 1/4 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार ट्रेस में नीले रंग से दर्शित	384	0.42	चा. 3/0.09 जा. 3/0.33	1.395 2.64
	योग	किता–1	0.22	कुल लगान	4.035
3.	सत्यनारायण पि. बालू हि. 1/2 हंसा पुत्री बालू हि. 1/2 जाति लोहार नक्शा ट्रेस में सफेद रंग से दर्शित	384	0.14	चा. 3/0.03 जा. 3/0.11	1.395 2.64
	योग	किता–1	0.14	कुल लगान	1.34

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा दोनो दावो के पक्षकारान को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं, जरिये एजेंट, नोकर, चाकर, एवं अन्य पारिवारिक सदस्यो के एक–दुसरे के हिस्से की भूमि की हद

तक में कब्जेकाश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे और राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति वाद की पालना तक बनाये रखे। दोनो वाद एक दुसरे से पृथक–पृथक होकर, निर्णय व डिक्री की एक–एक प्रति दोनो पत्रावलीयों पर संलग्न हो। **तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ मूल पत्रावली वाद संख्या 98/2022 रामप्रसाद बनाम सत्यनारायण आदि के साथ संलग्न रहेगी।** उक्त दोनो पत्रावलीयो फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। तद्नुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 22.03.2024 को सुनाया गया।

22/3/24

उपखण्ड अधिकारी
देवली

अंतिम डिकी

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...
मुकाम देवली व अलजाम श्री दुर्गा प्रसाद मीना उपखण्ड अधिकारी देवली आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक..... .

मिसल संख्या :– 98/2022 **निर्णय दिनांक :– 22.03.2024**

उनवानी दावा:

रामप्रसाद पुत्र जमनालाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक राज0 **–वादी–**

बनाम

6. सत्यनारायण पुत्र बालू जाति लोहार उम्र बालिंग निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोक राज0
7. हंसा पुत्री बालू जाति लोहार उम्र बालिग निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोक राज0
8. कन्या पत्नि किशनलाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोक राज0
9. भोलीदेवी पत्नि लादू जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोक राज0
10. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोक

–प्रतिवादीगण–

मिसल संख्या :– 99/2022 **निर्णय दिनांक :– 22.03.2024**

उनवानी दावा:

5. सत्यनारायण पुत्र बालू जाति लोहार उम्र बालिंग निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोक राज0
6. हंसा पुत्री बालू जाति लोहार उम्र बालिग निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोक राज0

–वादी–

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र जमनालाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. कन्या पत्नि किशनलाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोक राज0
3. भोलीदेवी पत्नि लादू जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोक राज0
4. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोक

–प्रतिवादीगण–

दावा बंटवारा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 98 सन् 2022 व मुकदमा नं. 99 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी वाद संख्या 98/2022 में श्री सत्यनारायण धाकड़ अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्री राजेश जैन अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2, व बद्री प्रसाद विजयवर्गीय प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 4 व वाद संख्या 99/2022 में श्री राजेश जैन अधिवक्ता

वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्री सत्यनारायण धाकड़ अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 व बद्री प्रसाद विजयवर्गीय प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम डिक्री दी जाती है कि

आदेश

जमाबन्दी सम्वत 2073–76 ग्राम सिरोही पटवार हल्का पोल्याड़ा के ख. नं. 381 रकबा 0.27 है0 व ख. नं. 384 रकबा 0.85 है0 में तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

अतः तहसीलदार देवली की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार रहेगा :–

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1.	रामप्रसाद पि. जमनालाल धाकड़ सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शित	381	0.27	बा.–1	2.16
		384	0.29	चा. 3/.12 जा. 3/.17	1.86 1.36
	योग	किता–2	0.56	कुल लगान	5.38
2.	भोली देवी पत्नी लादू हि. 3/4 कन्या पत्नी किशनलाल हि. 1/4 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार ट्रेस में नीले रंग से दर्शित	384	0.42	चा. 3/0.09 जा. 3/0.33	1.395 2.64
	योग	किता–1	0.22	कुल लगान	4.035
3.	सत्यनारायण पि. बालू हि. 1/2 हंसा पुत्री बालू हि. 1/2 जाति लोहार नक्शा ट्रेस में सफेद रंग से दर्शित	384	0.14	चा. 3/0.03 जा. 3/0.11	1.395 2.64
	योग	किता–1	0.14	कुल लगान	1.34

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा दोनो दावो के पक्षकारान को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं, जरिये एजेंट, नोकर, चाकर, एवं अन्य पारिवारिक सदस्यो के एक–दुसरे के हिस्से की भूमि की हद तक में कब्जेकाश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे और राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति वाद की पालना तक बनाये रखे। दोनो वाद एक दुसरे से पृथक–पृथक होकर, निर्णय व डिक्री की एक–एक प्रति दोनो पत्रावलीयों पर संलग्न हो। **तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ मूल पत्रावली वाद संख्या 98/2022 रामप्रसाद बनाम सत्यनारायण आदि के साथ संलग्न रहेगी।**

निजी...मुवलिक..बाबत् ....
..............................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 03 सन् 2024 को जारी किया गया।

दस्तख्त 22/3/24

मुहर

ओहदा ....

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.

स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अदालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतान वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजरायहुक्मनामा अन्य मिजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अदालत मेहनतान वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजरायहुक्मनामा अन्य मिजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।